

# Action Construction Equipment Ltd.

Corporate & Regd. Office

Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal - 121102, Haryana, India



**Date: July 29, 2019**

To,

The Manager Listing  
BSE Limited  
5th Floor, P.J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400001

**Scrip Code: 532762**

The Manager Listing  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai-400051

**CM Quote: ACE**

**Subject:** Submission of Intimation & Newspaper Advertisement for transfer of equity shares to the Demat Account of IEPF Authority pursuant to the provision of section 124 of the Companies Act, 2013.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with para A of part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the following documents as required under section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:


1. Copy of letter dated July 22, 2019 sent to the shareholders.
2. Copy of the newspaper advertisement published in the Financial Express (English) and Naya India (Hindi) on July 29, 2019.



This is for your kind reference and record please.

Thanking you,

Yours faithfully

**For Action Construction Equipment Limited**

  
**Anil Kumar**  
**Company Secretary**



Corporate Office & Regd. Office : Phone : +91-1275-280111 (50 Lines), Fax : +91-1275-280133, E-mail : works2@ace-cranes.com  
Mktg. H.Q.: 4th Floor, Pinnacle, Surajkund, Faridabad, NCR-121009, Phone: +91-129-4550000 (100 Lines), Fax : +91-129-4550022, E-mail: marketing@ace-cranes.com  
Customer Care No.: 1800 1800 004 (Toll Free), CIN : L74899HR1995PLC053860

*Nothing beats an **ACE***

ON LETTER HEAD OF THE COMPANY

ACE\IEPF  
Date: 22/07/2019

(Name of the Shareholder)  
(Address of shareholder)

Dear Shareholder(s)

Sub.: Compulsory transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account.

REF : FOLIO/DPID/CLIENT ID: .....

As you are aware, dividend declared by the Company is remitted either electronically or by sending dividend warrants to the registered address of the eligible shareholders. In case of any unpaid/unclaimed dividend, we have sent reminders periodically to such shareholders for claiming by them.

As per Section 124(5) of the Companies Act, 2013, all unpaid or unclaimed dividends for a period of seven years are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. We regularly upload on our website as also on the website of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, full details of such unpaid or unclaimed dividends before transferring to IEPF.

Further, Section 124(6) requires that all shares in respect of which unpaid or unclaimed dividend has been transferred to IEPF, shall also be transferred to IEPF. Ministry of Corporate Affairs has recently notified Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 which have come into force from September 7, 2016. The said Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of IEPF Suspense Account.


As per our records, the following dividends which were paid/remitted to you in the last seven years (with reference to **FINAL DIVIDEND for the year 2011-12 onwards**) remain unpaid / unclaimed:

Dividend Warrant No.	MICR.No./DD.No.	Amount(s)	Date of Payment	Dividend Year
-	-	-	-	-

Note - Unpaid Dividends prior to **Final Dividend FY-2011-12** have already been transferred to IEPF or Central Government, as per IEPF Rules.

We request you to claim the above dividends due to you by making an application immediately in the attached form and send it to Karvy Fintech Pvt. Ltd., Registrar and Transfer Agents of the Company on or before **25<sup>th</sup> October, 2019**. In case you fail to claim the above dividend, all your shares (whether held in physical or electronic form) will be transferred by the Company to IEPF Suspense Account. Kindly note that **Final dividend for Financial Year 2010-11** has already been transferred to IEPF.

As per the above mentioned rules shares held in physical form are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, by issuing duplicate share certificates and upon issue of such duplicate share certificates, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.



In case shares are held in demat form and are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, the Company will give Delivery Instruction Slip to the Depository for transfer of shares to IEPF.

However, you can claim from IEPF Authority both unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF Suspense Account by making an application in Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its registered office or to Karvy Fintech Pvt. Ltd., Registrar and Transfer Agents of the Company for verification of your claim. We shall send a verification report to IEPF Authority for refund of the unclaimed dividend amount and transfer of the shares back to the credit of the shareholder. As per the above mentioned rules, only one such request can be made in one year.

In case we do not hear anything from you on this intimation letter by **25<sup>th</sup> October, 2019**, we shall, with a view to complying with the requirements of the said Rules, transfer the unpaid dividend amount and shares to IEPF Suspense Account by the due date as per procedure stipulated in the Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Please feel free to contact the Company/Karvy Fintech Pvt. Ltd. in case you have any queries at their following address/email/telephone number:

Company Secretary & Compliance Officer Action Construction Equipment Limited Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-Haryana-121102 Phone No. 01275-280103/280111 Email:cs@ace-cranes.com	M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd. Unit:Action Construction Equipment Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No.: 1800- 3454-001/91 040 6716 1585 Email:einward.ris@karvy.com/ kishore.bv@karvy.com
--	--

Thanking You  
Yours faithfully,  
**For ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED**

Sd/-  
Anil Kumar  
COMPANY SECRETARY





# ढाया इंडिया परदेश/कूटनीति

## मिले परमाणु करार के सदस्यों

लाकर बंद हुआ है।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 454.22 अंक अर्थात करीब 1.20 प्रतिशत गिरकर 38 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 37882.79 अंक पर आ गया। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 1.18 प्रतिशत अर्थात 134.95 अंक उतरकर 11284.30 अंक पर रहा।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि शेयर

## विजनेट की करेगी 800 कर्मचारियों की भर्ती

नई दिल्ली, भाषा। बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन कंपनी विजनेट सिस्टम्स की योजना अगले छह महीने में भारत में 800 लोगों की भर्ती करने की है। कंपनी का इरादा अपने स्थानीय परिचालन का विस्तार करने और साल दर साल आधार पर कारोबार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने का है। विजनेट सिस्टम प्राइवेट लि. के प्रबंध निदेशक आलोक बंसल ने पीटीआई भाषा से कहा, "भारत में विजनेट लगातार वृद्धि की ओर है। हम अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अगले छह महीने में हम 800 नए लोगों की भर्ती करेंगे। इससे भारत में हमारे कर्मचारियों की संख्या 2,500 पर पहुंच जाएगी। हम सालाना आधार पर राजस्व और कर्मचारियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।"

## महिलाओं के कौशल विकास के लिए ओला चलाएगी अभियान

नई दिल्ली, भाषा। ऐप आधारित टेक्सी सेवाएं देने वाली कंपनी ओला ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिल कर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी रविवार को एक बयान में कहा कि ओला फाउंडेशन के माध्यम से वे रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और जीवन-कौशल शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का अभियान चलाएगी। बयान के मुताबिक इसके जरिए 2025 तक पांच लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

बयान में ओला के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्रीनिवास चूड ने कहा, हमारे पायलट कार्यक्रमों से यह दिखा है कि महिलाओं के लिए वित्तीय और सामाजिक स्वतंत्रता उनके परिवारों की बेहतरी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। हम 2025 तक पांच लाख महिलाओं

बाजार में गिरावट का मद्देनजर निवेशकों की तेजी नहीं दिखानी बरतते हुए बाजार की निवेश करने का समुचित बाजार अध्ययन

## मधुमेह

नई दिल्ली, भाषा। बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन कंपनी विजनेट सिस्टम्स की योजना अगले छह महीने में भारत में 800 लोगों की भर्ती करने की है। कंपनी का इरादा अपने स्थानीय परिचालन का विस्तार करने और साल दर साल आधार पर कारोबार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने का है। विजनेट सिस्टम प्राइवेट लि. के प्रबंध निदेशक आलोक बंसल ने पीटीआई भाषा से कहा, "भारत में विजनेट लगातार वृद्धि की ओर है। हम अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अगले छह महीने में हम 800 नए लोगों की भर्ती करेंगे। इससे भारत में हमारे कर्मचारियों की संख्या 2,500 पर पहुंच जाएगी। हम सालाना आधार पर राजस्व और कर्मचारियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।"

इसी मुद्रा परिसंपत्ति 1.39 अरब डॉलर 01.09 अरब डॉलर हो गया।

## इंडिया कांग्रेस

वार्ता। एशिया के टेक शो इंडिया प्रेस का इस वर्ष अक्टूबर तक लली में आयोजन और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन है। दूरसंचार, सूचना कानून एवं न्याय के प्रसाद ने कल पण की कि इस वर्ष में इंडिया कांग्रेस का तीसरा आयोजित किया है। इसमें दुनिया भर के देश, 300 से अधिक कंपनियों हजार से अधिक समें भाग लेंगे।

कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक वर्ष या उससे कम समय में ही इन गांवों को कनेक्ट करना चाहिए।

## ACE

### एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : एल74899एचआर1995पीएलसी053860  
पंजी. कार्यालय : दुधोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल-121102, हरियाणा  
फोन : +91-1275-280111 (50 लाइन्स), फैक्स : +91-1275-280133  
ई-मेल: cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com

#### सूचना

#### कम्पनी के इक्विटी शेयर्स का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) डीमैट खाते में अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 की उप-धारा (6) के प्रावधान तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016, जिसमें उसके संशोधन तथा पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु, कम्पनी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016, जिसमें उसके संशोधन तथा पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसरण में, वे सभी शेयर, जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-2012 से सात लगातार वर्षों या अधिक हेतु लामांश (अंतिम लामांश) का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसकी मांग नहीं की गई है, नियत तिथि, जोकि 31 अक्टूबर, 2019 है, तक केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के नाम अंतरित कर देगी।

तदनुसार, कम्पनी उन समस्त संबंधित शेयरधारकों को, कम्पनी/रजिस्ट्रार ऐण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) रिकार्ड्स में पंजीबद्ध उनके पते पर सूचना भेज चुकी है, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के संबंधित खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी पूर्ण विवरण वेबसाइट [www.ace-cranes.com](http://www.ace-cranes.com) पर भी अपलोड कर चुकी है, जिसमें उन शेयरधारकों का नाम उनका फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी-ब्लॉक आईडी तथा आईईपीएफ उचित खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों का ब्योरा दिया गया है।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि उपरोक्त शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में क्रेडिट किए जाने के पश्चात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रावधानों तथा प्रक्रिया के सिवाय किसी भी रूप में बिक्री या अंतरण या संव्यवहार के लिए शेयरधारक को उपलब्ध नहीं होंगे।

कृपया यह भी नोट करें कि मांगा नहीं गया लामांश और संगत शेयर, उन शेयरों पर होने वाले सभी लामों, यदि कोई, सहित, एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के बाद उपरोक्त नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया अपना कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं, नोट करें कि कम्पनी शेयरधारकों द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करेगी, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिफॉजिटरी को अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी डीमैट रूप में परिवर्तित करने और प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी। डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिफॉजिटरी को शेयरधारकों के शेयर प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011-2012 और उसके बाद की अवधि हेतु मांगा नहीं गया लामांश (अंतिम लामांश) कम्पनी/आरटीए को आवेदन देकर 25 अक्टूबर, 2019 तक मांग लें, जिसमें असफल रहने पर उनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। मांगे नहीं गए लामांश की मांग के लिए अथवा यदि आपको किसी जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कृपया कार्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट, को लिखें अथवा [cs@ace-cranes.com](mailto:cs@ace-cranes.com) पर ई-मेल भेजें।

स्थान : पलवल  
तिथि : 27 जुलाई, 2019

कृते एवं हिते  
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड  
हस्ता./-  
अनिल कुमार  
कम्पनी सचिव